

अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45-MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	173,70,00		
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			
		173,72,00	135,14,08	-38,57,92
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
पूरक	Supplementary	33,30,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			
		33,30,00	31,05,00	-2,25,00
				2,25,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1215.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-295.00		
			921.00	884.03
				-36.97
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मछली पालन	Fisheries			
मू.	O.	1978.00		
पु.	R.	-653.22		
			1324.78	1323.57
				-1.21

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"			
खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Food, Storage and Warehousing			
मू.	O.	12336.00		
पू.	S.	1.00	11388.55	11279.14
पु.	R.	-948.45		-109.41
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas			
मू.	O.	1670.00		
पु.	R.	-1670.00		

(I) 1741.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1480.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1741.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these Rs.1480.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(का) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" - 220.00 लाख रु.;

(A) "Fisheries - Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - Rs.220.00 lakhs;

(खा) "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -

(B) "Food - Food Processing" -

(क) "बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास के लिए स्कीम" - 170.00 लाख रु.;

(a) "Horticulture based Industries - Scheme for Human Resources Development" - Rs.170.00 lakhs;

(ख) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - 970.00 लाख रु. और

(b) "Horticulture based Industries - Scheme for Technology upgradation, Establishment, Modernisation of Food Processing Industries" - Rs.970.00 lakhs; and

(ग) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास स्कीम" - 120.00 लाख रु.।

(c) "Milk based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries" - Rs.120.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय"- 143.47 लाख रु. की बचत (810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रशासनिक कारणों की वजह से पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने के लिए व्यय में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - फल और सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय का सुदृढीकरण"- 186.00 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 356.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत 654.43 लाख रु. की बचत (1978.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बागवानी आधारित उद्योग - मानव संसाधन विकास के लिए स्कीम"- 898.76 लाख रु. की बचत (1495.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक कारणों से पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने के लिए व्यय में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम"- 509.03 लाख रु. की बचत (8728.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Secretariat – Ministry of Food Processing Industries" – saving of Rs. 143.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 810.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and curtailment of expenditure for augmentation of provision under capital section owing to administrative reasons.

(B) "Other Expenditure – Strengthening of Directorate of Fruit and Vegetable Processing" – saving of Rs. 186.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs. 356.00 lakhs including token supplementary grant of Rs. 1.00 lakh obtained in August, 2006);

(III) Under Major Head "2405" – "Marine Fisheries – Deep Sea Fishing Operations" – saving of Rs. 654.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1978.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2408" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Horticulture Based Industries-Scheme for Human Resources Development" - saving of Rs.898.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1495.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to curtailment of expenditure for augmentation of provision under capital section owing to administrative reasons.

(B) "Horticulture based Industries – Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernisation of Food Processing Industries" – saving of Rs. 509.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 8728.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 72.66 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (440.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - दुग्ध आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान और विकास" के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 430.95 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(V) Under one head saving of Rs.72.66 lakhs occurred constituting 73 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.440.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing-Milk Based Industries-Scheme for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries". Actual excess, however, was Rs.430.95 lakhs.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas	
मू.	O.	180.00
पु.	R.	-180.00

(I) मार्च, 2007 में प्राप्त किया गया 180.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत व्ययगत न होने वाले पूल को निधियों का अंतरण किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of Rs.180.00 lakhs obtained in March, 2007 remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim" - due to surrender of funds to non-lapsable pool.